## प्रस्ताव 50

2013–2014 के नियमित सत्र (संकल्प अध्याय 127, 2014 का कानून) के सेनिट संवैधानिक संशोधन 17 द्वारा प्रस्तावित संशोधन कैलिफोर्निया संविधान की एक धारा का संशोधन करके इसे व्यक्त रूप से संशोधित करता है; इसलिए हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान ~~काटे गए अक्षरों~~ में छापे गए हैं और शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान यह इंगित करने के लिए *तिरछे अक्षरों* में छापे गए हैं कि ये नए हैं।

### अनुच्छेद IV के खंड 5 का प्रस्तावित संशोधन

कि अनुच्छेद IV का खंड 5 निम्न प्रकार होने के लिए संशोधित किया जाता है:

खंड 5। (a) *(1)* विधान-मंडल *का प्रत्येक सदन* अपने सदस्यों की योग्यताओं और चुनावों का निर्णय करेगा और जर्नल में दर्ज हाज़िरी मतदान, ~~दो तिहाई~~ *दो तिहाई* सदस्यों के सहमत होने पर किसी सदस्य को निकाल सकता है।

*(2) (A) प्रत्येक सदन जर्नल में दर्ज हाज़िरी मतदान द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव या संकल्प द्वारा, दो तिहाई सदस्यों के सहमत होने पर किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है। प्रस्ताव या संकल्प में निलंबन के लिए आधार प्रस्तुत करने वाले निष्कर्ष और घोषणाएं शामिल होंगी। इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, सदन प्रस्ताव या संकल्प के व्यक्त प्रावधान द्वारा सदस्य का वेतन और लाभ निलंबन की संपूर्ण अवधि या इसके किसी भाग के लिए ज़ब्त मान सकता है।*

*(B) इस पैराग्राफ के अनुसरण में कोई निलंबित सदस्य निलंबन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान अपने पद के किसी अधिकार, विशेष अधिकार, कर्त्तव्यों या शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा या विधान-मंडल के किसी संसाधन का उपयोग नहीं करेगा।*

*(C) इस पैराग्राफ के अनुसरण में किसी सदस्य का निलंबन प्रस्ताव या संकल्प में उल्लिखित तारीख तक प्रभावी रहेगा, या यदि किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया जाता, तो उस तारीख तक लागू रहेगा जब तक निलंबन को समाप्त करने का कोई बाद का प्रस्ताव या संकल्प जर्नल में दर्ज हाज़िरी मतदान द्वारा, सदन के दो तिहाई सदस्यों के सहमत होने पर अपनाया नहीं जाता है।*

(b) विधान-मंडल का कोई सदस्य कोई मानदेय स्वीकार नहीं कर सकता। विधान-मंडल इस उपखंड को लागू करने वाले कानून बनाएगा।

(c) विधान-मंडल ऐसे कानून बनाएगा जो विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा उस स्थिति में किसी स्रोत से उपहार स्वीकार किए जाने को प्रतिबंधित करते हैं या कड़ाई से सीमित करते हैं यदि उपहार की स्वीकृति संभावित रूप से हित का टकराव उत्पन्न कर सकती हो।

(d) विधान-मंडल का कोई सदस्य किसी राज्य सरकार के बोर्ड या एजेंसी के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने, उपस्थित होने पर सहमत होने या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए जान-बूझकर कोई मुआवज़ा स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई सदस्य किसी राज्य सरकार के बोर्ड या एजेंसी के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने, उपस्थित होने पर सहमत होने या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए जान-बूझकर कोई मुआवज़ा स्वीकार करता है, तो वह सदस्य मुआवज़े की स्वीकृति के बाद एक वर्ष की अवधि तक विधान-मंडल के समक्ष किसी कार्रवाई या निर्णय को प्रभावित करने के लिए मतदान नहीं कर सकता या इसे बना नहीं सकता, बनाने में भाग नहीं ले सकता या किसी तरीके से अपने आधिकारिक पद का उपयोग करने के लिए किसी भी तरीके से प्रयास नहीं कर सकता, किसी ऐसी कार्रवाई या निर्णय के सिवाय जो ~~इस अनुच्छेद~~ के खंड 12 के उपखंड (c) से संबंधित हो, जिसके बारे में वह जानता है या जानने का कारण है कि इसका उस व्यक्ति पर सीधा और महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव होगा और सामान्य रूप से जनता या जनता के एक महत्वपूर्ण घटक पर समान तरीके से प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि इस उपखंड में उपयोग किया गया है, "सामान्य रूप से जनता" में कोई उद्योग, व्यापार या पेशा शामिल है। फिर भी, कोई सदस्य किसी बोर्ड या एजेंसी से संबंधित ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है जो पूरी तरह से उसकी ओर से हो, किसी न्यायालय या कामगार क्षतिपूर्ति अपील बोर्ड (Workers' Compensation Appeals Board) के समक्ष अटर्नी की हैसियत से पेश हो सकता है या मुआवज़े के बिना वकील के रूप में काम कर सकता है या किसी बोर्ड या एजेंसी के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से जानकारी के लिए पूछताछ कर सकता है। यह उपखंड उस स्थिति में किसी ऐसी भागीदारी या फर्म की किसी कार्रवाई की मनाही नहीं करता जिसका वह सदस्य है, यदि सदस्य उस कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी फीस में उस फीस से संबंधित किसी खर्च को घटाकर उस फीस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं करता।

(e) विधान-मंडल ऐसे कानून बनाएगा जो विधान-मंडल के किसी ऐसे सदस्य जिसके पद का कार्यकाल 3 दिसंबर 1990 को या इसके बाद आरंभ होता है, को पद छोड़ने के बाद 12 महीने तक विधान-मंडल के सामने 1974 के राजनीतिक सुधार अधिनियम (Political Reform Act) द्वारा शासित मुआवज़े के लिए अपने पक्ष में प्रचार करने की मनाही करता है।

(f) विधान-मंडल नए कानून बनाएगा और वर्तमान कानूनों को सुदृढ़ बनाएगा और विधान-मंडल के सदस्यों को ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होने या ऐसे हित रखने से रोकेगा जो उनके कर्त्तव्यों और ज़िम्मेदारियों को उपयुक्त रूप से पूरा करने से टकराते हैं। फिर भी, लोगों के पास अनुच्छेद II के अनुसरण में इस अपेक्षा को लागू करने की शक्ति है।